छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 3955/2004

याचिकाकर्ता	:	श्रीमती लक्ष्मणिया बाई, पति स्वर्गीय बाबूराम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी–ग्राम कुचिली, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर (छ०ग०)
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	1) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिलासपुर (छ०ग०) 2) मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुरसिया कोलियारी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०) 3) मुख्य कार्मिक अधिकारी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुरसिया कोलियारी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०) 4) प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, प्रबंधक कार्यालय, कुरसिया कोलियारी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रस्तुत रिट याचिका

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्र. 3955/2004

याचिकाकर्ता : श्रीमती लक्ष्मणिया बाई

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए डॉ. शैलेश आहूजा, अधिवक्ता ।
: उत्तरवादीगण के लिए पीएस कोशी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 17 नवंबर, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता के पति श्री बाबूराम की मृत्यु दिनांक 28–1–2003 को उत्तरवादी क्र. 1 के सर्वेक्षण विभाग में चेनमैन के पद पर कार्य करते समय हो गई थी। याचिकाकर्ता ने मृतक की दूसरी पत्नी होने के नाते दिनांक 4–9–2004 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के आवेदन/अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में केवल एक पत्नी, अर्थात श्रीमती बेरुलिया बाई का नाम मृतक कर्मचारी की पत्नी के रूप में दर्ज किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के नाम पर बाबूराम की मृत्यु के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. शैलेश आहूजा ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदिवासी रीति–रिवाज में एक पुरुष सदस्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और पहली पत्नी अर्थात श्रीमती बेरुलिया बाई के शपथपत्र दिनांक 4–9–2004(अनुलग्नक पी–10) के अनुसार, श्रीमती लक्ष्मणिया बाई, याचिकाकर्ता, बाबूराम पिता मोहरसाई की विधिवत विवाहित द्वितीय पत्नी थी। यह आगे तर्क दिया गया था कि पहली पत्नी श्रीमती बेरुलिया बाई की मृत्यु दिनांक 24–5–2005 को हुई थी। इस प्रकार, श्रीमती बेरुलिया बाई अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के रास्ते में नहीं आ सकी।

3. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पीएस कोशी ने इसके विपरीत यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के आवेदन/अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि मृत कर्मचारी के सेवा अभिलेख में, केवल एक पत्नी, अर्थात, श्रीमती बेरुलिया बाई को मृतक कर्मचारी की पत्नी के रूप में दर्ज किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के नाम पर बाबूराम की मृत्यु के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था। यह भी तर्क दिया गया था कि यह घोषणा करने के लिए एक वाद कि याचिकाकर्ता मृतक स्वर्गीय बाबूराम की विधिक पत्नी थी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के समक्ष विचाराधीन है। उत्तरवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आगे उत्तरवादी क्र. 1 की अनुकंपा नियुक्ति योजना का अवलंब लिया, जो मृत कर्मचारी के एक आश्रित को नियोजन का उपबंध करती है, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है। करार ज्ञापन (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता – V) का खंड 9.3.1 निम्नानुसार है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> " 9.3. 1 स्थायी रूप से विकलांग श्रमिकों के आश्रितों में से एक को और सेवा के दौरान मरने वालों को भी नियोजन प्रदान किया जाएगा। इस उपबंध को निम्नानुसार लागू किया जाएगाः"

4. इस प्रकार, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है ।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मृतक बाबूराम की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी श्रीमती बेरूलिया बाई पहले से ही कार्यरत थीं जब बाबूराम की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उत्तरवादी क्र. 1 की अनुकंपा नियुक्ति की नीति में दूसरे आश्रित को अनुकंपापूर्ण नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है, जो करार ज्ञापन (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता–V) के अनुसार उत्तरवादी क्र. 1 की नीति के विपरीत पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **जम्मू–कश्मीर राज्य एवं अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर**[1] के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्धारित किया था :–

> "11 ....यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, सरकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में नियोजन उन सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर एक पदो पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से विचलित नहीं होना चाहिए सिवाय तब जब बाध्यकारी परिस्थितियों, जैसे कि एकमात्र उपार्जक की मृत्यु हो जाना और परिवार को इस क्षति के कारण कष्ट होने की संभावना हो, के कारण ऐसा करना आवश्यक हो । एक बार यह साबित हो जाए कि उपार्जक की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि बीत गई, तो नियुक्ति के सामान्य नियम की "उपेक्षा" करने और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक को वरीयता देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1 {(2006) 5 एस.सी.सी. 766}

7. प्रस्तुत प्रकरण में समझौता ज्ञापन (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता – V) मृतक कर्मचारी के दूसरे आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है । शपथ पत्र दिनांक 4–9–2004 (अनुलग्नक पी–10) के अनुसार, परिवार, जिसमें मृतक और दो पत्नियाँ हैं, में मृतक की पहली पत्नी श्रीमती बेरुलिया बाई बाबूराम की मृत्यु के समय पहले से ही नियोजन में थी।

8. उपर्युक्त कथित कारणों से, यह याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

गोपाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**